भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 792

उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

खरीद एवं विपणन सहायता (पीएमएस) योजना

792. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 से आज की तिथि तक खरीद एवं विपणन सहायता (पीएमएस) योजना के कार्यान्वयन की समग्र देशव्यापी स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है;

(ग) राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में कितने कार्यक्रमों/स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है और उनके लिए कितनी निधि जारी की गई/उपयोग की गई है;

(घ) पीएमएस के अंतर्गत कौन-कौन सी विशिष्ट सहायता/उपाय प्रदान किए जाते हैं और क्या माई एमएसएमई और आरएएमपी पोर्टलों के माध्यम से आवेदन विंडो उपलब्ध हैं/सक्रिय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए प्रारूप और आवेदन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें औपचारिक बनाने पर पीएमएस का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) ऑर्डर/लीड-जनरेशन के लिए एकत्रित आंकड़े और प्राप्त ऑर्डरों का मूल्य कितना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता का संवर्धन करने और बाजार तक इनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा पूरे भारत में खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना लागू की गई है। दिनांक 26.07.2022 को योजना के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। यह योजना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, वेंडर विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) का आयोजन करना/इनमें सहभागिता करना, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (एमएसएमई ग्लोबल मार्ट) को अपनाना, बार-कोड को अपनाना, राष्ट्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन जैसी बाजार तक पहुंच संबंधी पहलों का समर्थन करती है।

(ख) : योजना के तहत सहायता प्राप्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एमएसई का ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न है।

(ग) : योजना के तहत आयोजित कार्यक्रमों/आयोजनों की संख्या और जारी की गई धनराशि अनुबंध-II में संलग्न है।

(घ) : इस योजना के तहत व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में एमएसई की व्यक्तिगत भागीदारी, घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन करने, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए सहायता, बारकोड को अपनाना, वेंडर विकास कार्यक्रम (वीडीपी), राष्ट्रीय कार्यशालाओं, जागरुकता कार्यक्रमों और बाजार-संबंधी अन्य गतिविधियों के माध्यम से विशिष्ट सहायता प्रदान की जाती है। वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र वाले एमएसई, एमएसएमई पोर्टलः https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/Home.aspx पर उपलब्ध अनुमोदित आयोजनों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ङ) और (च) : **एमएसएमई की बाजार तक पहुंच और उसके औपचारिकीकरण पर पीएमएस का प्रभाव निम्नानुसार है:** पीएमएस योजना, मेलों में भागीदारी के लिए सब्सिडी देकर, विक्रेता आउटरीच (वीडीपी) को सक्षम करके बाजार तक पहुंच बनाकर और ई-कॉमर्स अपनाने और ऐसे बार-कोड के उपयोग को उत्प्रेरित करने में सहायता करती है- जिनसे पारदृश्यता, खरीददार लिंकेज और ऑर्डर के जेनरेशन अवसरों में वृद्धि होती है। पिछले दो वर्षों के दौरान पीएमएस योजना के लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**स्वदेशी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एक्सपो की संख्या**	**एमएसई लाभार्थियों की संख्या**	**व्यय (करोड़ रुपए में)**
2023-24	256	लगभग 30,000	68.69
2024-25	255	लगभग 30,500	61.74
2025-26* (दिनांक 01.12.25 तक की स्थिति के अनुसार)	215 (अनुमोदित मेले)	8,845	51.92

****

अनुबंध-I

व्यापार मेलों/बार कोड/ई-कॉमर्स लाभार्थियों के तहत राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार समर्थित एमएसई निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	175	130
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0
3	असम	258	219
4	बिहार	364	252
5	चंडीगढ़	43	36
6	छत्तीसगढ़	92	143
7	दादरा और नगर हवेली	9	6
8	दमन और दीव	3	2
9	दिल्ली	961	1168
10	गोवा	31	151
11	गुजरात	1024	969
12	हरियाणा	491	478
13	हिमाचल प्रदेश	48	96
14	जम्मू और कश्मीर	81	43
15	झारखंड	111	197
16	कर्नाटक	997	938
17	केरल	459	511
18	लद्दाख	2	2
19	मध्य प्रदेश	348	362
20	महाराष्ट्र	3947	2489
21	मणिपुर	23	69
22	मेघालय	4	4
23	नागालैंड	6	8
24	ओडिशा	940	838
25	पुडुचेरी	58	36
26	पंजाब	888	618
27	राजस्थान	903	689
28	सिक्किम	6	6
29	तमिलनाडु	1014	1136
30	तेलंगाना	519	422
31	त्रिपुरा	5	9
32	उत्तर प्रदेश	891	909
33	उत्तराखंड	251	286
34	अंडमान निकोबार	3	3
35	पश्चिम बंगाल	795	803

अनुबंध-II

i.) स्कीम के तहत आयोजित राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों/वीडीपी की संख्या और जारी निधि निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2023-24 कुल राष्ट्रीय कार्यशालाएं/ सेमिनार/वीडीपी	वित्त वर्ष 2023-24 जारी की गई संस्वीकृति (लाख रुपए में)	वित्त वर्ष 2024-25 कुल राष्ट्रीय कार्यशालाएं/सेमिनार/ वीडीपी	वित्त वर्ष 2024-25 जारी की गई संस्वीकृति (लाख रुपए में)
बिहार	9	45	6	22
तेलंगाना	5	25	4	14
कर्नाटक	9	45	6	22
पश्चिम बंगाल	6	30	5	17
आंध्र प्रदेश	3	15	3	11
हरियाणा	3	15	4	14
उत्तराखंड	10	50	6	22
महाराष्ट्र	11	55	9	33
पंजाब	5	25	4	14
उत्तर प्रदेश	13	65	8	30
छत्तीसगढ	3	15	3	11
दिल्ली (एनसीआर)	4	20	4	14
राजस्थान	5	25	4	14
ओडिशा	6	30	4	14
गोवा	2	10	3	11
केरल	5	25	4	14
जम्मू और कश्मीर	2	10	5	17
झारखंड	4	20	3	11
गुजरात	3	15	5	17
मध्य प्रदेश	5	25	3	11
तमिलनाडु	4	20	5	17
हिमाचल प्रदेश	1	5	3	11
असम	3	15	3	11
नागालैंड	3	15	0	0
सिक्किम	1	5	2	8
मेघालय	1	5	0	0
मिजोरम	0	0	2	8

ii.) पिछले और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यवार जारी निधि (घरेलू व्यापार मेले):

संबंधित राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2024-25 कुल जारी संस्वीकृति (रुपए में)**	**वित्त वर्ष 2025-26 में दिनांक 01.12.2025 तक जारी संस्वीकृति (रुपए में)**
उत्तर प्रदेश	92,75,899	80,72,507
गुजरात, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली	3,71,80,644	2,50,52,859
उत्तर प्रदेश	7,67,614	14,04,576
कर्नाटक	3,46,03,082	2,47,49,647
तमिलनाडु, पुडुचेरी	3,75,39,214	2,40,94,785
ओडिशा	2,17,23,999	3,46,61,020
दिल्ली एनसीआर	5,15,22,045	4,89,73,100
सिक्किम	1,68,000	-
गोवा	44,66,858	9,24,528
असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय	4,41,638	97,000
उत्तराखंड	1,40,32,666	1,56,66,438
कर्नाटक	23,84,991	9,86,586
तेलंगाना	1,85,92,706	1,07,03,894
मणिपुर	2,48,000	-
मध्य प्रदेश	2,66,51,386	81,90,537
राजस्थान	2,87,43,030	2,51,55,274
जम्मू और कश्मीर, लद्दाख	24,35,130	4,02,543
उत्तर प्रदेश	19,94,323	51,77,105
हरियाणा	1,36,18,009	81,21,501
पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	64,50,572	1,06,94,421
पंजाब, चंडीगढ़	3,48,87,500	3,13,84,557
महाराष्ट्र (परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित)	5,19,73,613	4,87,86,323
बिहार	89,28,491	12,23,331
महाराष्ट्र	5,62,27,193	3,73,34,524
बिहार	44,87,470	56,88,607
छतीसगढ़	16,91,370	70,77,977
झारखंड	18,11,270	44,50,235
हिमाचल प्रदेश	25,02,508	20,11,953
केरल, लक्षद्वीप	2,21,00,370	89,14,422
आंध्र प्रदेश	30,80,655	26,78,007
कुल	**50,05,30,246**	**40,26,78,257**